न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2402/2003/बून्दी

1. धन्ना लाल पुत्र देव लाल जाति मीणा निवासी काकरामेज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी काकरामेज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केशोरायपाटन जिला बून्दी

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–
श्री एस.के. शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 24.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 व 188 के अन्तर्गत ग्राम कांकरामेज स्थित आराजी खसरा नम्बर 117/446 रकबा 20बीघा भूमि बाबत् प्रतिवादीगण अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि दिनांक 2–7–1968 को पक्षकारान में राजीनामा पंचों के समक्ष किया, जिसके अनुसार बंटवारा किया जावे। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, द्वितीय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–3–1986 से वादी का वाद डिक्री कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी धन्नालाल ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–05–1990 से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी धन्नालाल ने राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–4–1995 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, केशोरायपाटन द्वारा उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 01–09–1998 से बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की। इस निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी धन्नालाल ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–4–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पक्षकारान के मध्य वर्ष 1968 में लिखित राजीनामा हो चुका था, जिसके अनुसार सियालू के पेड के पश्चिम में अपीलाकर्ता तथा पूर्व में प्रत्यर्थी की जमीन बंटवारे के अनुसार बांटी गयी थी, तब से लगातार उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है तथा बंटवारानामा के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी ने भी स्वीकार किया था। ऐसी स्थिति में एक बार भूमि का बंटवारा हो जाने के पश्चात् पुनः बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया गया था, जो चलने योग्य नहीं था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में हुए बंटवारे को नहीं माना कर पुनः बंटवारे बाबत् प्राथमिक डिक्री पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि जब दोनों पक्षकारान एक्जी ए–1 राजीनामा स्वीकार करते है तथा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से भी अब राजीनामा की पालना में पूर्व व पश्चिम दिशा में पक्षकारान अपने अपने हिस्से में काबिज है, तो विभाजन की डिक्री प्रदर्श–ए–1 के अनुसार किया जाना अनिवार्य था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा पद्रर्श ए–1 राजीनामा अनुसार अमल दरामद करवाया जाकर हिस्सा विभाजन करवाये जाने के आदेश पारित किये जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आरजी वादी एवं प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से नीलामी में ली थी तथा संयुक्त रूप से ही गैर खातेदारी दर्ज हुई तथा वर्ष 1968 में प्रदर्शए–1 लिखित राजीनामा के होते हुए भी वर्ष 1976 में खातेदारी अधिकार दोनों को संयुक्त रूप से 1/2 – 1/2 के मिले। उनका कथन है कि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से प्रत्येक इंच भूमि पर सहखातेदारों का कब्जा माना जावेगा। उनका कथन है कि प्रदर्श–ए–1 राजीनामा पर उनके पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है तथा पंच फैसले में यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी भूमि वादी के कब्जे में रहेगी तथा कितनी भूमि प्रतिवादी के कब्जे में रहेगी। उनका कथन है कि पंच फैसले में यह लिखा गया है कि जितनी ज्यादा भूमि जिसके कब्जे में रहेगी वह उसकी कीमत अदा करेगा। उनका कथन है कि विवादित आराजी सहखातेदारी की बहिस्सा बराबर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा दिनांक 2–7–1968 को जो बंटवारा हुआ वह भूमि धारी की मौजूदगी में नहीं हुआ। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 व 188 के अन्तर्गत ग्राम कांकरामेज स्थित आराजी खसरा नम्बर 117/446 रकबा 20बीघा भूमि बाबत् प्रतिवादीगण अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर विभाजन का अनुतोष चाहा। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी वादी अपीलार्थी एवं प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 को संयुक्त रूप से नीलामी में प्राप्त हुई तथा विवादित आराजी पक्षकारान के नाम संयुक्त रूप से गैर खातेदारी में दर्ज हुई। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से वर्ष 1968 में विवादित आराजी बाबत् राजीनामा होना पाया जाता है परन्तु इस राजीनामें के आधार पर प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा 1/2 हिस्से से ज्यादा भूमि के लिए राशि चुकायी गयी हो, इस बाबत् पत्रावली में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी के खातेदारी अधिकारी वादी एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त रूप से 1/2 –1/2 वर्ष 1976 में प्रदान किये जाने तक वर्ष 1968 में हुए राजीनामे की क्रियान्विति बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी में 1/2–1/2 दर्ज है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकी संख्या–2 का निर्णय वादी के पक्ष में करते हुए अभिनिर्धारित किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 विवादित आराजी के 1/2 – 1/2 भाग के खातेदार है, उनके बीच में पूर्व में बंटवारा हुआ उसको वादी स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में वादी विवादित आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी है। इसी प्रकार तनकी संख्या–3 के निर्णय में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलार्थी को विवादित आराजी का अकेला स्वामी होना नहीं मानते हुए उक्त तनकी को प्रतिवादी को विरूद्ध निर्णीत किया है। तनकी संख्या–3/1 के निर्णय में प्रदर्श–ए–1 के अनुसार दिनांक 2–7–1968 को वादी एवं प्रतिवादी के

मध्य राजीनामा हुआ, जिसमें साक्षी भोलू, केदार एवं चतरा मीणा थे। गवाह भोलू ने यह स्वीकार किया कि पंच फैसला हुआ परन्तु उस समय प्रहलाद नहीं था एवं न उसके लिखावत पर हस्ताक्षर कराये गये। वादी प्रहलाद ने किसी प्रकार का राजीनामा होना स्वीकार नहीं किया। प्रदर्श–ए–1 राजीनामा पंच फैसले में यह लिखा गया कि जिसके पास ज्यादा जमीन होगी वह आज की रेट से भूमि की कीमत देगा। परन्तु प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया, जिसमें उसने वादी को भूमि की कीमत दी हो जबकि प्रतिवादी धन्ना के बयानों से स्पष्ट है कि उसके पास ज्यादा जमीन है। इस प्रकार जब राजीनामा अनुसार क्रियान्विति नहीं हुई तो राजीनामा पंचफैसले कोई महत्व नहीं रखता। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित करते हुए विवादित आराजी के बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह मानते हुए कि विवादित आराजी वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 एवं प्रतिवादी अपीलार्थी की संयुक्त खातेदारी में 1/2 –1/2 राजस्व अभिलेख में दर्ज होना मानते हुए एवं पूर्व में हुए बंटवारे पंचफैसले की कियान्विति नहीं होना मानते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत

सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विस्तृत विधिसम्मत् निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गयी, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 22-04-2003 एवं 01-09-1998 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(मोड़ूदान देथा)
सदस्य